

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- <https://fcs.cg.gov.in/>)

क्रमांक | 58 / संचा-वि.स. / 2025
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ
मर्यादित, 06 फ्लोर, टॉवर "सी" कमर्शियल
काम्पलेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर-21, अटल
नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 491 तारांकित द्वारा श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 491 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के प्रश्नांश "क" का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 03.07.2025 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 11/07/2025

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/07/2025 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : मार्कफेड में अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जारी राशि

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 491) श्रीदेवेन्द्र यादव

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, व 2024-25 में मार्कफेड को हानि प्रतिपूर्ति एवं मार्कफेड को हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति मदों में कब-कब, कितनी-कितनी राशि जारी की गई है? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त जारी की गई राशि मार्कफेड को कब-कब उपलब्ध करायी गई है? जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त मदों के अंतर्गत जारी राशि का भुगतान, किन-किन मदों में कब-कब किया गया है, खरीफ विपणन वर्षवार जानकारी देवें।

Sent From : vidhan | Sent Date : 01/07/2025 11:26:01 |

Remark :

मार्कफेड
उपभोक्ता संरक्षण